उत्तराखण्ड राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत संकुल औषधीय पादप कृषिकरण परियोजना हेतु आवेदन का प्रारूप (स्पष्ट रुप में भरा जाए)

अ. परियोजना प्रस्ताव

1	कृषिकरण परियोजना का नाम	
2	परियोजना अवधि	
2	स्वयं सहायता समूह का नाम	
3	समूह के सम्पर्क व्यक्ति का पूरा डाक पता	
4	दूरभाष/मोबाईल नं0	
5	कृषिकरण के लिए चयनित प्रजाति/प्रजातियॉ	
6	कृषिकरण के लिए उपलब्ध भूमि का ब्यौरा i. क्षेत्रफल (नाली/है0 में) ii. तोक/ग्राम का नाम iii. विकास खण्ड iv. जनपद v. कृषिकरण परियोजना स्थल की सड़क मार्ग से दूरी vi. वन प्रभाग का नाम vii. समुद्र तल से ऊचॉई viii. जी0पी0एस0 लोकेशन (अक्षांतर एवं देशांतर)	
7	कृषिकरण हेतु बीज/पौध आपूर्ति का स्रोतः–	
8	तकनीकी सहयोग प्रदान करने वाली संस्था का नामः–	
9	औषधीय पादप क्षेत्र में किए गए कार्य के अनुभव का विवरण :–	
10	स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते का विवरणः	
11	स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का नाम, आधार सं0 एवं श्रेणी (सामान्य/अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/अन्य): –	

क0 सं0	स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के नाम	पिता/पति का नाम व पता	आधार संख्या	मोबाइल न0	श्रेणी (सामान्य/अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/अन्य)
1					
2					

ब. मिशन के अन्तर्गत कृषिकरण हेतु सकल वित्तीय आवश्यकता का विवरणः–

1	मिशन के अन्तर्गत मांगी गई वित्तीय सहायता (रु0 में)	
2	स्वयं के स्रोत की धनराशि (रु0 में)	
	कुल परियोजना लागत (रु0 में)	

स. कृषिकरण प्रस्ताव हेतु संबंधित दस्तावेज जिसे स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रस्तुत किया जाना है :

1	संलग्न प्रारूप के अनुसार रू0 10 के स्टांप पेपर पर उत्पादकों/व्यक्तियों/परिसंघ और क्रेताओं के बीच समझौता ज्ञापन। **(संलग्न प्रारूप – 1)**	
2	राजस्व विभाग द्वारा विधिवत् अनुप्रमाणित स्वामित्व अथवा पट्टाविलेख सहित भूमि अभिलेख (प्रमाणित कम्प्यूटराईज्ड खतौनी)	
3	कृषिकरण परियोजना के चयनित क्षेत्र का रेखाकिंत मानचित्र	
4	यदि भूमि लीज/अनुबन्ध पर ली है तो अनुबन्ध का प्रमाण पत्र, नोटरी से प्रमाणित।	
5	परियोजना के लिए बीज–पौध स्रोत का विवरण	
6	तकनीकी सहयोग प्रदान करने वाली संस्था का प्रमाण–पत्र	
7	पूर्व में जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान/राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड/राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन से कोई भी वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की है, इस आशय का प्रमाण शपथ पत्र के माध्यम से देना होगा	
8	स्वयं सहयता समूह के प्रत्येक सदस्य के नाम का भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र राजस्व उप निरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाना अनिवार्य है।	

परियोजना का औचित्य बताते हुए उसका परिचय एवं मुख्य क्रियाकलाप :

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त दी गयी सूचनाएं सत्य एवं सही हैं और हमारे स्वयं सहायता समूह के द्वारा समय–समय पर संस्थान द्वारा मांगी जाने वाली सूचनायें (भौतिक/वित्तीय आख्या) संस्थान को उपलब्ध करायी जायेंगी तथा समूह वित्तीय सहायता के उपयोगार्थ संस्थान के नियमों/शर्तों का पालन करने पर सहमत है।

दिनॉकः **स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के नाम व हस्ताक्षर**

क्र0 सं0	**स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के नाम**	**हस्ताक्षर**
1		
2		
3		
4		
5		

संलग्नक–1

राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत कृषिकरण परियोजना हेतु
समझौता ज्ञापन
(दस रूपये के स्टांप पत्र पर)

यह समझौता ज्ञापन यहाँ प्रथम पक्ष कहे जाने वाले खरीदार/खरीदारों (पूर्ण नाम व पूरा पता)..... .....और द्वितीय पक्ष कहे जाने वाले कृषक समूह (पूर्ण नाम व पूरा पता)..... ..... के बीच (दिनांक).....को किया जाता है।

जबकि प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष, जो अपने स्वामित्वाधीन भूमि अथवा पट्टे पर अर्जित की गई भूमि पर औषधीय पादपों की कृषि करता है, से कृषित/उत्पादित जड़ी–बूटीयों, कच्ची औषधियों को खरीदने का इच्छुक है। जबकि द्वितीय पक्ष उक्त भूमि पर जड़ी–बूटीय पादपों का उक्त कृषि कार्य निष्पादित करने का इच्छुक है। करार विलेख के ब्योरे निम्नानुसार हैं:–

1. पादप/कच्ची सामग्री के ब्योरेः–

1. कृषि की जाने वाली प्रजातियों के नाम :
2. कृषि की जाने वाली रोपण सामाग्री के स्रोत का विवरण :
3. व्यापार किए जाने की अनुमानित मात्रा

2. कृषि के लिए क्षेत्र का व्यौरा :

3. प्रत्येक प्रजाति/पादप की सगर्भता/कटाई की अनुमानित अवधि :

4. संबंधित शर्तेः

1. वर्ष (वर्षों) में करार की विधिमान्यता :
2. दोनों पक्षों द्वारा मंजूर परक्राम्य मूल्य का उल्लेख करें :
3. विवाद, यदि कोई हो, के क्षेत्राधिकार को विनिर्दिष्ट किया जाएः

5. कोई अन्य संबद्ध सूचना :

प्रथम पक्ष के हस्ताक्षर	द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर
गवाह 1	गवाह 1
(पूरे पते सहित)	(पूरे पते सहित)
गवाह 2	गवाह 2
(पूरे पते सहित)	(पूरे पते सहित)